‘खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर नजर रखें प्रवर्तन निरीक्षक’

तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की बैठक को जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने संबोधित किया।

बीकानेर, (कासं)। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक में दोनों समितियों के सदस्यों को विभागीय दिशा निर्देशानुसार उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

विभागीय दिशा-निर्देशों एवं आदेशों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

■ सतर्कता समिति के सदस्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिले को आवंटित खाद्यान्न के उपावंटन बाद उचित मूल्य दुकानदारों को आवंटित खाद्यान्न को डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत पहुंच के बाद वितरण से पूर्व पहुंच को सुनिश्चित करने और वितरण के समय औचक रूप से निरीक्षण मॉनिटरिंग करने की जानकारी दी गई।

खाद्यान्न वितरण के समय सजग एवं सतर्क रहने के लिए पाबंद किया गया तथा खाद्यान्न वितरण में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितताएं बरती जाती हैं तो क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी अथवा प्रवर्तन निरीक्षकों को सूचित करने के लिए उनके मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि यदि उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है, तो क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क करने के निर्देश दिए गए।

सार्वजनिक विवरण प्रणाली के तहत वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप बिना किसी बाधा चले इसके लिए किया गया। सम्पन्न और अपात्र परिवारों द्वारा उठाव किये जा रहे खाद्यान्न को स्वेच्छा से गिव-अप अभियान के तहत छोड़ने की जानकारी दी गई तथा गरीब एवं जरूरतमंद पात्र परिवारों के चयन के बारे में बताया गया। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 1 लाख 7 हजार 957 अपात्र अथवा सम्पन्न परिवारों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये गये हैं तथा 1 लाख 23 हजार 616 गरीब अथवा जरूरतमंद पात्र परिवारों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गये हैं तथा उनको नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने सभी सदस्यों से गिव-अप अभियान में अपना सक्रिय सहयोग करने तथा अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कर इस अभियान को सफल बनाने का आव्हान किया। सतर्कता समिति के सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली उचित मूल्य दुकानों का अधिकाधिक निरीक्षण करें, जिससे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था संतोषप्रद एवं सुचारू से चले। उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों को रिक्त एवं नवसृजित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति और प्रगतिरत प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस दौरान समस्त संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों भी निर्देशित किया गया कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे गिव-अप अभियान में उचित मूल्य दुकानदारों को उनके क्षेत्र के सम्पन्न और अपात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सूची से हटवाने हेतु प्रेरित करें तथा उचित मूल्य दुकानें समय पर खुले तथा नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

साइबर सुरक्षा पर जानकारी दी

बीकानेर, (कासं)। राजकीय विधि महाविद्यालय में आज प्राचार्य प्रो. भगवानाराम बिश्नोई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में 'साइबर सुरक्षा' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में कपिल नायल (केन्द्र प्रभारी एवं संयुक्त निदेशक, नाइलेट, बीकानेर) तथा उनके साथ आबिद हुसैन तथा अजय जावा तथा टीम के कई सदस्य थे। केन्द्र प्रभारी कपिल ने कार्यशाला का संचालन करते हुए सबसे पहले नाइलेट का परिचय दिया और बताया कि यह संस्था पूरे देश में कई केन्द्रों के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स संचालित कर रही है। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट से जुड़े जोखिमों जैसे पायरेसी, असुरक्षित साइट्स, साइबर अटैक, फिशिंग, पासवर्ड अटैक, फेक लिंक आदि के उदाहरण देकर छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी।

उन्होंने सतर्क रहें, सावधान रहें का संदेश देकर छात्रों को जागरूक किया। अंत में उन्होंने साइबर लॉ में करियर के अवसरों के बारे में भी छात्रों को जानकारी दी। कार्यशाला संयोजक डॉ मीनाक्षी कुमावत ने बताया कि हमारी इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों और प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के महत्व और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में जागरूक करना था। हम आशा करते हैं कि प्रतिभागी इस जानकारी को अपने दैनिक जीवन में सही तरीके से लागू करेंगे और साइबर हमलों से स्वयं सुरक्षित रहेंगे।

ग्रामीण सेवा शिविर 17 से शुरू

श्रीगंगानगर, (कास)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ग्रामीणों की समस्याओं का उनके गांव में ही निपटारा हो इसको लेकर 17 सितम्बर से श्रीगंगानगर में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किये जायेंगे। शिविरों में मुख्य रूप से 16 विभागों के विभिन्न कार्य ग्राम स्तर पर ही सम्पादित किये जायेंगे।

जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा लम्बित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करना, किसान गिरदावरी एप डाउनलोड करवाना, राजस्व न्यायालयों के लम्बित नोटिसों की तामिली, कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना, सहमति से विभाजन, नामांतकरण, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र जैसे कार्य सम्पादित किये जायेंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10 हजार और बीपीएल परिवारों का सर्वे, विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम के तहत स्कूलों इत्यादि की मरम्मत के लिये स्वीकृतियां एवं कार्य, पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना में पट्टे जारी करना, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण, स्वच्छ भारत मिशन, क्षतिग्रस्त स्कूल, आंगनबाड़ी सड़क सुधार के कार्य सम्पादित किये जायेंगे।वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं की जांच, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान व पीएमजेवाई कार्ड बनाने के कार्य किये जायेंगे। पशु स्वास्थ्य शिविर एवं टीकाकरण, ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के तारों को खिंचवाना आदि काम होंगे।

सार-समाचार

पांच इंटर्न अनुपस्थित मिले

रोजगार उपनिदेशक हरगोबिंद मित्तल ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले इंटर्न के कार्यस्थल का निरीक्षण किया।

बीकानेर, (कासं)। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पांच इंटर्न अनुपस्थित मिले। एक इंटर्न लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के बावजूद फर्जी तरीके से उपस्थित अपलोड करना पाया गया। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक हरगोबिंद मित्तल ने बताया कि योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले प्रार्थियों को सरकारी विभागों में प्रतिदिन चार घंटे की इंटर्नशिप करनी होती है। शुक्रवार को श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक स्थित राजकीय विद्यालयों में इसका औचक भौतिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सात में से पांच इंटर्न अनुपस्थित मिले। इनमें भरतराम पुत्र केशरा राम के कई माह से अनुपस्थित होने के बावजूद फर्जी उपस्थिति बनाकर अपलोड किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान भरत राम का बेरोजगार भत्ता अविलम्ब बंद कर दिया गया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101416 **लोक सूचना** दिनांक : 12.09.2025

श्रीमती ज्योति अरोड़ा पत्नी श्री मधुर अरोड़ा एवं श्रीमती वीना अरोड़ा पत्नी श्री हरीश अरोड़ा निवासी 1-डी-20 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक (पेट्रौल पम्प) प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती ज्योति अरोड़ा पत्नी श्री मधुर अरोड़ा एवं श्रीमती वीना अरोड़ा पत्नी श्री हरीश अरोड़ा	चक 1 जी छोटी मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 9/1 में 0.0260 है. किला नं. 10/1 में 0.0200 है. किला नं. 11/1 में 0.0960 है. किला नं. 12/1 में 0.1260 है. यथाकुल 0.2680 हैक्ट.	कुल 0.2680 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12.09.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/4380 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 11-09-2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पल्लवी शर्मा पुत्री श्री मोहनलाल शर्मा निवासी बसंती चौक वाली सेतिया फार्म मैन रोड, 10 प्रेम नगर, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण		
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवरण	जायज वारिसों का विवरण	दस्तावेज का विवरण
चक 1 ए छोटी मुरब्बा सं. 46 के किला सं. 01 में भूखण्ड माप 25'x65' फीट	आवासीय नियमन पट्टा सं. 1114 दिनांक 31.03.2001 श्रीमती सुदेश शर्मा पुत्री श्री सुखनाथ के नाम से दर्ज है।	श्रीमती सुदेश शर्मा पुत्री श्री सुखनाथ की मृत्यु दिनांक 22.02.2025 को हो चुकी है।	●श्रीमती पल्लवी-पुत्री	श्रीमती पल्लवी शर्मा पुत्री श्री मोहनलाल शर्मा निवासी बसंती चौक वाली सेतिया फार्म मैन रोड, 10 प्रेम नगर, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड का अपने नाम से नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती पल्लवी शर्मा पुत्री श्री मोहनलाल शर्मा निवासी बसंती चौक वाली सेतिया फार्म मैन रोड, 10 प्रेम नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/फ्री होल्ड पट्टे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगी। आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/664 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4381 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 12.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रोबिल लालगड़िया पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता एवं श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दास निवासी श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण		
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	मृत्यु प्रमाण पत्र व विवरण	जायज वारिसों का विवरण	दस्तावेज का विवरण
चक 2 एमएल मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 02, 03 में भूखंड संख्या एसजेडे-14 माप 40'x60' फीट	आवासीय नियमन पट्टा सं. 6506 दि. 23.9.2008 को श्री ओम प्रकाश गेदड़ा पुत्र श्री मनीराम के नाम से जारी है। जो श्री पुरुषोत्तम दास, श्रीमती प्रेमलता एवं श्री रोबिल के नाम से दर्ज है।	श्रीमती प्रेमलता की मृत्यु दिनांक 20.12.2022 को हो चुकी है।	1. श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता-पति 2. नीरज लालगड़िया-पुत्री 3. वेलू गोयल-पुत्री 4. रोबिल लालगड़िया-पुत्र	जायज वारिसानों द्वारा दिनांक 14.7.2025 को श्री रोबिल लालगड़िया पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता एवं श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दास के पक्ष में हक परित्याग किया गया है। आवेदकों द्वारा उक्त भूखंड का अपने नाम से नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री रोबिल लालगड़िया पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता एवं श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दास निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/623 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

पीबीएम में 2 करोड़ से बनेगा संभाग का पहला स्पाइन इंजरी सेंटर

■ पीबीएम अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है। इस राशि से अस्पताल में संभाग का पहला स्पाइन इंजरी सेंटर विकसित किया जायेगा, जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित चोटों के उपचार में मील का पत्थर साबित होगा।

इस सेंटर के नोडल अधिकारी के रूप में डॉ. कपिल पारीक को नियुक्त किया गया है। जो इस सेंटर को ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी और राज्य सरकार के आदेशानुसार जनवरी 2024 से प्रयासरत रहे हैं। इस परियोजना के तहत 30 बेड का एक समर्पित वार्ड स्थापित किया जायेगा, जिसके लिए एफ वार्ड को सुरक्षित किया गया है। 2 करोड़ रूपये के बजट में से 1.5 करोड़ रुपये आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर खर्च किए जायेंगे, जबकि 50 लाख रूपये की लागत से एफ वार्ड का नवीनीकरण किया जायेगा। और इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रिंसिपल डॉ. गुंजन सोनी द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के ओटी कॉम्प्लेक्स मे एक डेडिकेटेड स्पाइन इंजरी ऑपरेशन थियेटर न्यूरो सर्जरी विभाग को समर्पित कर दिया गया है जहां मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

इसके साथ ही भारत सरकार ने जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में स्पाइन इंजरी सेंटर स्थापित करने के लिए कुल 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इस दिशा में कार्य तेजी से प्रगति पर है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी, न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश सोढी और नोडल अधिकारी डॉ. कपिल पारीक की देखरेख में यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तक बीकानेर में स्पाइन से संबंधित बीमारियों का इलाज न्यूरो सर्जरी विभाग में होता आया है।

अब स्पाइन इंजरी सेंटर के स्थापित हो जाने के बाद स्पाइन की चोटों से संबंधित समग्र व विश्वस्तरीय इलाज इसके अधीन हो पाएगा।

बिजली लाइन डालने से जाम लगा

बीकानेर, (कासं)। जिले के नोखा में विद्युत निगम द्वारा बिजली लाइन डालने के काम के चलते नेशनल हाईवे पर यातायात काफी देर तक बाधित रहा। बुधरों की ढाणी के पास निगम ने बीच हाईवे पर अवरोधक लगाकर बिजली की लाइन डालने का काम शुरू कर दिया जिसकी वजह से 20 मिनट तक ट्रैफिक रूका रहा जिससे काफी लम्बा जाम लग गया।

खड़ी बसों में सवार यात्री और छोटे बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निगम की तरफ से बिजली लाइन डालने की सूचना न देने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। नोखा से बीकानेर जा रहे कालूराम कड़ेल ने बताया कि वो जरूरी काम से बीकानेर जा रहे थे। रास्ता बंद होने के कारण बुधरों की ढाणी के पास 20 मिनट रूकना पड़ा। विभाग की इस कार्रवाई से यात्रियों ने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई।

नवरात्र महोत्सव को लेकर दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू

■ बीकानेर में दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं इन दिनों रानीबाजार व बीछवाल एरिया में बंगाल से आये कारीगर बना रहे हैं

बीकानेर, (कासं)। नवरात्र महोत्सव को लेकर बीकानेर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बीकानेर में भी मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं इन दिनों रानीबाजार व बीछवाल एरिया में बंगाल से आये कारीगर बना रहे हैं।

मूर्तिकारों का जुड़ाव बीकानेर से करीब 35 साल से है। मूर्तिकार बादल ने बताया कि एक प्रतिमा बनाने में करीब दस से पंद्रह दिन का समय लगता है। प्रतिमाएं तैयार होने के बाद रंग-रोगन व सजावट का काम किया जाता है। दुर्गा महोत्सव के नजदीक आने के साथ ही ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं। इन दिनों करीब मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को तैयार करने का काम चल रहा है।

गौरतलब है कि इस साल नवरात्र 22 सितम्बर से शुरू होंगे। चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण नौ के बजाय दस दिन के होंगे। आसपास के जिलों से भी मिलते है ऑर्डर। मूर्तिकार ने बताया कि नवरात्र में मां दुर्गा के स्वरूप की प्रतिमा की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। बीकानेर के अलावा श्रीडूंगरगढ़, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ से भी विभिन्न साइज की प्रतिमाओं के ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके है। जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है। डिमांड को देखते हुए जरूरत के हिसाब से और कारीगर बंगाल से बुलाये जायेंगे ताकि समय पर ऑर्डर तैयार किए जा सके।

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, **Circle-Bikaner**
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/512 दिनांक :- 12/9/2025

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना-1973 में चालान संख्या 12908 द्वारा रूपये 250/ जमा करवाकर श्री प्रहलाद शंकर पुत्र श्री आशाराम ने आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को आवास सं.2-स-12 पवनपुरी, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 65.00वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 7452 दिनांक 21.11.1978 को जारी किया गया था। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से पंजीकृत नहीं है। उक्त आवास श्री प्रहलाद शंकर पुत्र श्री आशाराम ने मुख्त्यारनामा/ईकरारनामा/वसीयतनामा के माध्यम से श्री जगदीश खतुरिया पुत्र स्व. श्री शिवनदास खतुरिया के नाम किया गया। उक्त आवास का नियमितिकरण श्री जगदीश खतुरिया के नाम पत्रांक 375 दिनांक 23.06.2004को किया गया। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 07.07.2004को पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात श्री जगदीश खतुरिया पुत्र स्व. श्री शिवनदास खतुरिया ने उक्त आवास का बैचान बैयनामा के माध्यम से श्रीमति अनिता रानी पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार खनेजा को दिया गया। उक्त बैयनामा उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 05.06.2008 से पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात श्रीमति अनिता रानी की मृत्यु दिनांक 07.03.2023 को हो जाने कारण उनके पुत्र श्री गौरव खनेजा एवम् श्री निशांत खनेजा ने मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारके घोषणा पत्र, समस्त पंजीयन प्रपत्रों की छायाप्रति एवम् निर्धारित शूल्क जमा करा दिया गया। उक्त आवास श्री गौरव खनेजा एवम् श्री निशांत खनेजा के नाम हकत्याग विलेख के माध्यम से किया गया। उक्त हकत्याग विलेख उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 06.05.2024 से पंजीकृत है। श्री गौरव खनेजा एवम् श्री निशांत खनेजा पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार खनेजा ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यपित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री गौरव खनेजा एवम् श्री निशांत खनेजा पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार खनेजा का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यावाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री गौरव खनेजा एवम् श्री निशांत खनेजा पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार खनेजा का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/ पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

ट्रेन पर पत्थर मारा तो होगी कड़ी कार्रवाई

■ इस अपराध के लिए 5 साल तक की सजा व जुर्माना हो सकता है

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर से दिल्ली के बीच प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन संचालन को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ बीकानेर ने गाढ़वाला व नापासर क्षेत्र में जन-जागरूकता अभियान चलाया।

आरपीएफ अधिकारियों ने बच्चों को समझाया कि ट्रेन की गति अधिक होने के कारण अचानक ट्रैक पार करना बेहद खतरनाक हो सकता है। साथ ही यह भी बताया गया कि ट्रेन पर पत्थर मारना गंभीर अपराध है, जिससे यात्रियों और ट्रेन को भारी नुकसान हो सकता है। आरपीएफ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति ट्रेन पर पत्थर मारता है, तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जायेगा। इस अपराध के लिए 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ग्रामीणों को अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने की सलाह दी गई। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि छोटी-सी लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है। अभियान का नेतृत्व उप निरीक्षक अमरीक सिंह और कांस्टेबल गोविंद ने किया। यह कार्यक्रम आरपीएफ निरीक्षक सुभाष बिश्नोई के मार्गदर्शन में और उच्च अधिकारियों में आईजी ज्योति कुमार सतीजा शामिल थे।

नोखा में कौशल प्रदर्शनी आज

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के प्रशिक्षण सहयोगी सने ओवरसीज पब्लिक लिमिटेड द्वारा संचालित आकांक्षा आईटीआई नोखा में शनिवार प्रात:10 बजे से विशाल कौशल प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी।

निगम प्रभारी विवेक शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय कला-संस्कृति और लुप्त होती परंपरागत कलाओं को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में हैण्डीक्राफ्ट सेक्टर की युवतियों द्वारा तैयार उत्पादों का प्रदर्शन किया जायेगा। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के को-ऑपरेटिव इंस्पेक्टर एवं जीएम क्रय-विक्रय सहकारी समिति किशन सामरिया, लघु उद्योग भारती से राखी चोरडिया, विप्र फाउंडेशन से सीमा मिश्रा सहित कई अतिथि उपस्थित रहेंगे।

थार सीमा क्षेत्र विकास के तहत 5.85 करोड़ के 25 कार्य मंजूर

बीकानेर, (कासं)। विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल की अभिशंसा पर मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 5.85 करोड़ रूपए के 25 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

विधायक डॉ. मेघवाल ने बताया कि दो केएलडी गुलाम अली वाला में सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य मुख्य डामर सड़क से राप्रावि शिक्षाकर्मी विद्यालय की ओर के लिए 20 लाख, दो केडब्लूएम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल स्टेडियम में भ्रमण पथ और विस्तार कार्य के लिए 10 लाख, सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य नानकराम भाटी के प्लाट से सोमा बावरी के घर की ओर दो केडब्लूएम आबादी के लिए 10 लाख, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पार्क निर्माण कार्य पंचायत भवन के पास के लिए 10 लाख, 3 पीडब्लूएम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 28 केवाईडी में दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं प्रार्थना स्थल निर्माण के लिए 30 लाख, सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य 10 बीडी जोहड़ से गुरूद्वारा होते हुए गुरनाम सिंह के घर की ओर 20 लाख, 14 बीडी राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक बीएम में प्याऊ मय आरओ वाटर कूलर निर्माण के लिए 5 लाख, 20 बीडी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण के लिए 20 लाख, 13 केवाईडी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष और प्रार्थना स्थल निर्माण के लिए 30 लाख, ग्राम पंचायत 22 केवाईडडी की डामर सड़क से जोड़ने के लिए सीसी ब्लॉक निर्माण और अन्य कार्यों के लिए 10 लाख, उप स्वास्थ्य केन्द्र 22 केवाईडी की छत बदलना, मरम्मत और अन्य कार्यों के लिए 10 लाख, सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य सीसी रोड से राजकीय पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय से अम्बेडकर पार्क की ओर के लिए 20 लाख तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 13 केवाईडी के मुख्य द्वार से कक्षा कक्षा तक सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। 25 केवाईडी में रा. उ. प्राथमिक विद्यालय में दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण के लिए 15 लाख मंजूर किए।

हाईकोर्ट बैंच की मांग बीकानेर के बाशिंदों का अधिकार, विरोध आधारहीन’

■ केन्द्रीय कानून मंत्री के बीकानेर में हाईकोर्ट की सर्किट बैंच की स्थापना संबंधी बयान के विरोध में जयपुर और जोधपुर में वकीलों का विरोध

बीकानेर में हाईकोर्ट की सर्किट बैंच स्थापना को लेकर बैठक करते बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अजय पुरोहित व कुलदीप शर्मा व अन्य पदाधिकारी।

बीकानेर, (कासं)। जोधपुर व जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों ने केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के बीकानेर में हाईकोर्ट की सर्किट बैंच की स्थापना संबंधी बयान के विरोध में आज न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक बहिष्कार किया।

वहीं बीकानेर में बार एसोसिएशन ने इस विरोध को आधारहीन बताया है। दरअसल बीकानेर के वकील लम्बे समय से हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। हर माह कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जा रहा है। बीकानेर सांसद अर्जुनराम मेघवाल के केंद्रीय कानून मंत्री बनने के बाद कई वकीलों ने बार एसोसिएशन के माध्यम से इसकी भी उनके सामने मांग रखी। जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीकानेर दौरे पर आये थे, तभी वकीलों ने हाईकोर्ट की मांग उनसे रखी थी। 24 अगस्त को केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सर्किट हाउस में पीसी के दौरान कहा था कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आगामी 20 या 21 सितम्बर को संभवत बीकानेर यात्रा पर आयेंगे। बीकानेर में वे संविधान पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे।

वहीं कई अन्य न्यायाधीश सेमिनार में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश बीकानेर आयेंगे तो बीकानेर को कुछ मिलेगा ही। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के दौरे से वकीलों को हाईकोर्ट बैंच खुलने की उम्मीद जगी है। लेकिन दौरे से पहले ही विरोध को देखते हुए बीकानेर बार एसोसिएशन ने इसे आधारहीन बताया है।

रावण दहन कार्यक्रम की रूपरेखा तय

बीकानेर,(कासं)। धरणीधर दशहरा कमेटी इस वर्ष भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

आयोजन को लेकर गुरुवार को धरणीधर ट्रस्ट के अध्यक्ष नंदकुमार आचार्य तथा दशहरा कमेटी के अध्यक्ष देवकिशन चांडक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विजयादशमी के दिन धरणीधर मैदान में शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। फिर आकर्षक झांकियों और बच्चों के विशेष कार्यक्रम होंगे। मुख्य आकर्षण रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। जिसके लिए विशेष आतिशबाजी और प्रकाश सज्जा की व्यवस्था रहेगी। बैठक में मंच संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सफाई व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। स्थानीय कलाकारों को भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शामिल किया जायेगा।

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, **Circle-Bikaner**
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/516 दिनांक :- 12/9/2025

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल में श्री राजेन्द्र कुमार लोढ़ा पुत्र श्री कमल राज लोढ़ा ने आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को आवास सं.01-ख-06 पवनपुरी योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 181.369 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 3631 दिनांक 24.02.1996 को जारी किया गया था। मूल आवंटी श्री राजेन्द्र कुमार लोढ़ा पुत्र श्री कमलराज लोढ़ा के नाम मण्डल रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 02.04.1986 कन्वेशडीड/परिपिज्युल को जारी कर दी गई थी। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 08.04.1986 को पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात उक्त आवास का मुख्त्यारआम श्रीमति प्रकाश कौर पत्नि श्री गुरूदयाल सिंह को दिनांक 20.06.1995 को किया गया। श्रीमति प्रकाश कौर पत्नि श्री गुरूदयाल सिंह ने मुख्त्यारआम के पश्चात उक्त आवास बैयनामा के माध्यम से श्री करमजीत सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह एवम् श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह को बैचान किया गया। उक्त बैयनामा उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 11.09.2019 से पंजीकृत हैं। उक्त आवास श्री करमजीत सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह, एवम् श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह के नाम कार्यालय आदेश क्रमांक 1161 दिनांक 22.12.2022 को किया गया।

तत्पश्चात श्री करमजीत सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह एवम् श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह ने उक्त आवास का बैचान बैयनामा के माध्यम से श्री हरिशंकर सुथार पुत्र श्री पूनम चन्द सुथार को किया गया। उक्त बैयनामा उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 16.08.2023 से पंजीकृत हैं। इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 612 दिनांक 26.09.2024 के द्वारा उक्त आवास श्री हरिशंकर सुथार पुत्र श्री पूनम चन्द सुथार के नाम हो गया था।

तत्पश्चात श्री हरिशंकर सुथार पुत्र श्री पूनम चन्द सुथार ने उक्त आवास का बैचान विक्रय विलेख पत्र के माध्यम से श्रीमति दुर्गा कंवर पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह को किया गया। उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 10.07.2025 से पंजीकृत हैं।

श्रीमति दुर्गा कंवर पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्रीमति दुर्गा कंवर पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यावाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/ हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमति दुर्गा कंवर पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर